भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 347

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

347. डॉ. के. सुधाकर:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार पृथक- पृथक ब्यौरा क्या है और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त राज्यों में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, लाभार्थियों की आधार सीडिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों के माध्यम से उचित दर की दुकानों के ऑटोमेशन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ईपीओएस-आधारित प्रमाणीकरण के फलस्वरूप कितने डुप्लीकेट, जाली या अपात्र राशन कार्ड चिह्नित किए गए और रद्द किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 347(सातवां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
कर्नाटक	1222.13	1281.18	2180.60
हिमाचल प्रदेश	47.38	0.00	0.00

इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित योजना- "एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलर के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" के तहत, खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग, एफपीएस डीलर के मूल और अतिरिक्त मार्जिन से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां भी जारी की जाती है। इस योजना के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
कर्नाटक	148.70	112.18	671.32
हिमाचल प्रदेश	29.58	42.74	41.94

(ख): कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों में एनएफएसए के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या, जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों की जिलावार संख्या दर्शायी गई है, क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ग): कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, लाभार्थियों को आधार से जोड़ना तथा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों के माध्यम से उचित दर दुकानों के स्वचालन की स्थिति निम्नानुसार है

राज्य	केंद्रीय प्रणाली में कुल राशन कार्ड	आधार से जोड़े गए कुल राशन कार्ड	केंद्रीय प्रणाली में कुल लाभार्थी	आधार से जोड़े गए कुल लाभार्थी	कुल उचित दर दुकान	ई-पीओएस उपकरणों के साथ प्रचालन
कर्नाटक	1,09,16,903	1,09,16,903	4,01,93,000	4,01,93,000	20,862	20,481
हिमाचल प्रदेश	7,32,941	7,32,887	28,41,273	28,40,761	5,405	5,373

(घ): पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हटाए गए राशन कार्ड इस प्रकार हैं:

राज्य	हटाए गए राशन कार्ड		
	2023	2024	2025
कर्नाटक	74,401	27,105	50,594
हिमाचल प्रदेश	7,551	9,673	7,400

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 347 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कर्नाटक राज्य में एनएफएसए के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या

जिले का नाम	वित्त वर्ष 2023-2024		वित्त वर्ष 2024-2025		वित्त वर्ष 2025-2026	
	एएवाई	पीएचएच	एएवाई	पीएचएच	एएवाई	पीएचएच
बागलकोट	1,88,100	12,04,050	1,89,680	12,13,912	1,86,726	12,83,767
बल्लारी	2,42,608	17,31,806	2,13,458	15,64,287	2,05,151	15,29,744
बेंगलोर पूर्व	10,167	2,41,112	9,913	2,74,566	8,596	2,41,837
बेंगलोर उत्तर	10,928	3,83,701	10,540	3,94,292	9,607	3,54,944
बेंगलोर दक्षिण	22,458	3,69,856	22,421	3,85,240	18,648	3,24,803
बेंगलोर पश्चिम	17,850	6,07,025	17,528	6,08,925	15,179	5,26,090
बेलगावी	2,66,006	32,77,302	2,66,862	33,12,488	2,64,033	33,72,706
बेंगलुरु ग्रामीण	61,945	7,06,557	61,446	7,12,749	59,800	7,09,284
बेंगलुरु शहरी	57,214	15,25,835	55,769	15,44,000	48,754	13,85,479
बीदर	1,52,831	10,00,492	1,52,807	9,95,295	1,50,286	10,12,860
चामराजनगर	1,33,539	6,89,787	1,32,503	6,84,354	1,28,288	6,96,545
चिक्कबल्लपुर	1,19,176	7,09,719	1,18,472	7,07,785	1,10,874	6,90,272
चिक्कामगलुरु	86,645	7,14,881	86,480	7,10,989	84,072	7,16,852
चित्रदुर्ग	1,74,215	9,99,346	1,72,937	9,94,545	1,69,608	10,06,331
दक्षिण कन्नड़	1,13,854	9,67,834	1,14,955	9,56,212	1,14,929	10,31,428
दावणगेरे	1,89,632	9,88,773	1,89,514	9,84,448	1,85,798	9,96,550
धारवाड़	1,16,335	11,47,364	1,16,374	11,41,877	1,15,158	11,52,610
गडग	1,08,785	6,71,418	1,09,190	6,77,748	1,06,303	7,07,147
हसन	96,440	13,22,402	96,208	13,12,710	92,987	12,86,213
हावेरी	1,96,382	11,38,263	1,94,748	11,37,339	1,91,011	11,78,981
कलबुर्गी	2,38,045	14,59,408	2,35,922	14,69,200	2,33,841	15,32,155
कोडागू	31,158	2,66,401	30,649	2,61,657	28,542	2,64,783
कोलार	1,18,223	9,39,945	1,18,662	9,42,604	1,15,347	9,36,588
कोप्पल	1,47,614	9,55,380	1,49,116	8,88,551	1,45,751	9,09,803
मंड्या	1,39,633	13,68,338	1,38,974	13,54,744	1,34,898	13,53,642
मैसूरु	2,12,892	19,74,658	2,10,929	19,41,261	2,01,762	18,97,202
रायचूर	1,92,353	12,53,582	1,94,292	12,55,285	1,88,756	12,72,001
रामनगर	76,386	6,17,526	76,169	6,13,944	72,155	6,07,761
शिवमोगा	1,65,390	10,37,133	1,65,196	10,32,600	1,57,515	10,03,130
तुमकुरु	1,97,341	16,85,759	1,97,857	16,77,636	1,96,321	17,00,742
उडुपी	1,47,562	6,35,638	1,47,757	6,11,465	1,45,738	6,42,193
उत्तर कन्नड़	66,407	9,68,612	66,341	9,69,356	65,350	9,74,853
विजयनगर	20,134	99,688	50,490	2,31,482	58,194	3,22,890
विजयपुरा	1,58,714	14,50,226	1,58,820	14,66,483	1,53,505	14,88,838
यादगीर	1,13,598	7,69,308	1,15,175	7,74,834	1,13,878	8,05,352
कुल	43,90,560	3,58,79,125	43,88,154	3,58,04,863	42,77,361	3,59,16,376

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 347 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएफएसए के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या

जिले का नाम	वित्त वर्ष 2023-2024		वित्त वर्ष 2024-2025		वित्त वर्ष 2025-2026	
	एएवाई	पीएचएच	एएवाई	पीएचएच	एएवाई	पीएचएच
बिलासपुर	45,712	1,39,688	42,087	1,33,360	45,712	1,39,688
चंबा	1,35,486	1,41,064	1,21,458	1,32,768	1,35,486	1,41,064
हमीरपुर	36,328	1,39,056	32,987	1,34,860	36,328	1,39,056
कांगड़ा	1,44,455	5,80,016	1,29,546	5,38,684	1,44,455	5,80,016
किन्नौर	4,217	13,989	2,916	9,956	4,217	13,989
कुल्लू	27,059	1,63,478	23,345	1,46,197	27,059	1,63,478
लाहुल और स्पीति	2,305	3,049	604	1,448	2,305	3,049
मंडी	1,04,219	3,62,726	92,321	3,34,120	1,04,219	3,62,726
शिमला	72,846	1,91,387	61,780	1,71,114	72,846	1,91,387
सिरमौर	42,137	1,98,234	37,079	1,85,898	42,137	1,98,234
सोलन	45,358	1,82,385	40,699	1,77,580	45,358	1,82,385
ऊना	41,058	2,06,495	37,522	1,91,814	41,058	2,06,495
कुल	7,01,180	23,21,567	6,22,344	21,57,799	7,01,180	23,21,567
